



राजस्थान आयुर्विज्ञान परिषद् RAJASTHAN MEDICAL COUNCIL

सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302001(राज0)

Sardar Patel Marg, C-Scheme, Jaipur-302001(Raj.)

Visit us at:- rmcjaipur.org/दूरभाष / Phone No.-0141-2225102, 2221734ई-मेल / E-mail:-
rajmedcouncil@yahoo.in

NO.RMC/March2023/1276

Dated 10/04/23

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,

SMS Medical College, Jaipur

Sardar Patel Medical College, Bikaner

RNT Medical College, Udaipur

Jawaharlal Medical College, Ajmer

Dr. S.N. Medical College, Jodhpur

Government Medical College, Kota

RUHS College of Medical Sciences, Jaipur

Jhalawar Medical College, Jhalawar, Government Medical College,

Churu, Bhilwara, Dungarpur, Pali, , Bharatpur, Dholpur, Sikar

विषय:- FMG पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को राजकीय/राजमेस चिकित्सा महाविद्यालयों में द्वितीय वर्ष की इन्टर्नशीप हेतु अधिकृत करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ. 7(19)राजमेस/ इन्टर्नशीप फॉर केडिडेन्ट्स/अका/2014/पार्ट-1/1650 दिनांक 06.04.2023 के द्वारा राजकीय/राजमेस चिकित्सा महाविद्यालयों में इन्टर्नशीप कर रहे FMG पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को द्वितीय वर्ष की इन्टर्नशीप हेतु उन्ही चिकित्सा महाविद्यालयों में लगातार जारी रखा जाने का निर्णय लिया गया है। जिसके द्वारा निम्नांकित निर्देश जारी किये गये हैं:-

- FMG पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से उचित माध्यम द्वारा आवेदन प्राप्त कर उन्ही चिकित्सा महाविद्यालयों में यथावत द्वितीय वर्ष की इन्टर्नशीप हेतु आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
- एफएमजी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इन्टर्नशीप हेतु स्टाईपेण्ड आदि का भुगतान देय नहीं होगा, अतः पात्र अभ्यर्थियों को द्वितीय वर्ष की इन्टर्नशीप आवंटन किये जाने से पूर्व इस आशय का शपथ-पत्र लिया जाना सुनिश्चित कर लेवें कि वे भविष्य में स्टाईपेण्ड आदि की मांग नहीं करेगें।

अतः उक्त निर्देशानुसार आपके अधीन चिकित्सा महाविद्यालय में एक वर्ष की इन्टर्नशीप पूर्ण कर चुके अथवा जिनकी निकट भविष्य में एक वर्ष की इन्टर्नशीप पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की सूची एवं वांछित शपथ-पत्र तीन दिवस में इस कौंसिल को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें, ताकि ऐसे अभ्यर्थियों को उसी चिकित्सा महाविद्यालय से द्वितीय वर्ष की इन्टर्नशीप आवंटन की अनुमति प्रदान की जा सकें।

(डॉ० मनोष शर्मा)

रजिस्ट्रार,

राजस्थान मेडिकल कौंसिल,
जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।

रजिस्ट्रार

